

रहने वाले है।

अनुप गर्ग पुत्र सुभाषचन्द निवासी शिवाजी नगर नरेला दिल्ली हाल वैस भट्टा मालिक मल्लाहा माजरा ने थाना कुण्डली में शिकायत दी थी कि दीपक उर्फ धोनी पुत्र अप्पू निवासी राधौडा जिला बागपत यूपी ने ईस्लाम पुत्र मामन निवासी बलवा जिला शामली यूपी की हत्या कर दी है। इस घटना का उक्त अनुप गर्ग के कथनानुसार थाना कुण्डली में मामला दर्ज किया गया।

बारोटा पुलिस ने घटना में संलिप्त आरोपियों दीपक उर्फ धोनी पुत्र अप्पू निवासी राधौडा जिला बागपत यूपी

बारोटा पुलिस के साथ हत्यारोपी दीपक व आरोपी महिला अफसाना यूपी को गिरफतार कर लिया है।

गिरफतार कर लिया है। गिरफतार आरोपियों से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर अपने किये अपराध की स्वीकार करते हुये बताया कि वाजिद उर्फ काला पुत्र दीना निवासी जनधेडी जिला शामली यूपी की प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर हत्या कर शव को मल्लाहा माजरा स्थित रजवाहा में डाल दिया था। वाजिद उर्फ काला मुनीम काला गैंग शार्प सूटर एवं उतर प्रदेश पुलिस का डेढ लाख रुपये का ईनामी बदमाश था। वर्ष 2015 में मिर्जापुर से

पुलिस हिरासत से फरार होते समय चार पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने की घटना को भी अन्जाम दिया था और अपनी आईडी बदलकर मल्लाहा माजरा स्थित ईट भट्टे पर इस्लाम पुत्र मामन निवासी बलवा जिला शामली यूपी की आईडी पर लेबर के रूप में काम कर रहा था। मृतक वाजिद उर्फ काला लगभग एक दर्जन हत्या, हत्या प्रयास, लूट, डकैती, दुष्कर्म, चोरी व अन्य अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा था। इसके विरुद्ध थाना कैराना में अभियोग दर्ज थे।

फैक्स नं.: 011-24368639

NOTICE

This is to inform and notify the General Insurance cover notes belonging to Company Ltd., bearing serial numbers me misplaced. This has been reported to the and a complaint has been registered on mentioned dates. Please note that any anyone on the basis of the aforesaid lost void, illegal and shall not be binding of Company will not be liable for coverage of liabilities whatsoever by the use/misuse, notes. In the event, anyone is found to use cover notes, then the Company shall be criminal legal action against such person.

Book No. GB133184 Cover Note No. GP21997734

For Tata AIG Ger

Place : Mumbai Date : 28-06-2019

भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था का निकला दिवाला: राजपाल आर्य

राकेश पंवार

बहादुरगढ़। हरियाणा में भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजपाल आर्य ने कही। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता और नेता विकास चौधरी की हत्या एक निन्दनीय शर्मनाक और दुखद घटना है। यह हरियाणा में बिगड़वती कानून व्यवस्था का आईना है। प्रभु श्री चौधरी की आत्मा को शांति और परिवार को ये आघात सहने की शक्ति दे। उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी को जिम के बाहर 8-10 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद कार से हमलावर भाग गए। घटना का एक सीसीटीवी पु टेज भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि जिम के बाहर कार से उतरते ही हमलावरों ने विकास को कई गोलियां मारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद सारी घटना कैद है।

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
CIN: L26102DL1984PLC019542

पंजीकृत कार्यालय: युनिट नं. 203 से 208, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065, फोन (011) 49454900
कॉर्पोरेट कार्यालय: 5वां तल, टॉवर-बी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, महारौली-गुडगांव रोड, गुडगांव-122002 (हरियाणा)
फोन (0124)-4062212-19, फैक्स: (0124)-4062244/88, Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निम्नलिखित शेयरधारकों ने नीचे वर्णित सूची के अनुसार पुरानी ट्रांसफर डोंड के साथ शेयरों के अंतरण के लिए शेयर प्रमाणपत्र के साथ ट्रांसफर डोंड दर्ज कराई है।

हस्तांतरणकर्ता का नाम	हस्तांतरणकर्ता का फोलियो नं.	विशिष्ट संख्या से - तक	प्रमाण पत्र सं.	शेयरों की सं.	हस्तांतरिणी का नाम	हस्तांतरिणी का फोलियो नं.
जगदीश कामरा	00033719	74956459 से 74956495 86434000 से 86434036	123219 178743	37 37	धनी राम शर्मा	0089889
सत्य भान सिंह	00069375	76648750 से 76648786	158872	37	धनी राम शर्मा	0089889
राम कृष्ण खेरिया	00054099	75960884 से 75960920	143596	37	धनी राम शर्मा	0089889

संबंधी परिपत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2018 में परिपत्र के खण्ड 2(ग) के अनुसार परिपत्र में वर्णित अनुसार हस्तांतरिणी द्वारा शर्तों को पूरा करने के अधीन हस्तांतरणकर्ता के हस्ताक्षर को गैर-उपलब्ध/प्रमुख अंतर के मामले में पुराने भौतिक शेयरों का अंतरण स्वीकार्य है। यदि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर कम्पनी/इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)- मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुम्बई-400 083 को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी शेयरों के अंतरण को प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।

कृते असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
हस्ता./-
गोपाल गनत्रा
कार्यापालक निदेशक
जनरल काउंसिल एवं कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ7090

तिथि: 25 जून, 2019
स्थान: गुडगांव

पहचान की

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आदमी जिसका नाम, निवास और परिवार उक्त आदमी जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, दिनांक 19 को डीडीए पार्क, निगम बोध घाट के पास बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली में मृत पाया गया सिलसिले में डीडी नंबर 27-ए, दिनांक 21 को पुलिस थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली में गयी है। पुलिस ने मृतक आदमी की पहचान की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं हो सकी है।

मृत आदमी का विवरण इस प्रकार है:
लिंग: पुरुष, उम्र: 35 वर्ष, कद: 5'5", रंग: चकदार कभीज और आसमानी नीले रंग की इस अज्ञात मृत आदमी के परिजनों के बारे कृपया थाना प्रभारी कश्मीरी गेट, दिल्ली को स

DP/165/N/19

मराठा आरक्षण वैध लेकिन इसे 12-13 प्रतिशत करना चाहिए: अदालत

मुंबई, (भाषा)। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को वैधानिक वैधता को बरकरार रखा लेकिन कहा कि आरक्षण को वर्तमान 16 प्रतिशत से घटाकर 12 से 13 प्रतिशत किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और

फड़णवीस, भाजपा व शिवसेना ने मराठा आरक्षण पर फैसले की प्रशंसा की

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस समेत सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन के नेताओं ने राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं के लिए आरक्षण को वैध ठहराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले की बृहस्पतिवार को प्रशंसा की। विधानसभा में फड़णवीस ने कहा कि यह खुशी की बात है कि उच्च न्यायालय ने मराठाओं को आरक्षण देने के उनकी सरकार

अगर किसी समुदाय का राष्ट्रपति द्वारा तैयार सूची में नाम शामिल है तो ही उसे आरक्षण दिया जा सकता है अदालत ने कहा कि उसे जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय अतीत में कह चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा, हालांकि, अगर विशेष परिस्थितियों में आरक्षण देना

जिन्हें रख हुए है और दोनों ने ही इस मामले को ध्यान में रखते हुए ही फैसला किया है।